

दिनांक : 28.01.2019 को आयोजित प्रेम समूह की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त ।

क्र.सं.	मद	अभियुक्ति
1.0	श्री विश्व मोहन सिंह , अध्यक्ष / ईसीआरकेयू	
1.1	कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की भुगतान के लिए विजिलेंस शिकायतों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की शिकायतों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।	प्रमुकाधि
1.2	सेवानिवृत्ति पर पेंशन भुगतान के समय नॉमनि को नहीं बदला जाय।	प्रमुकाधि
1.3	सेवानिवृत्ति पर पेंशन भुगतान से संबंधित कागजात बैंक में निश्चित समय पर पहुंचना सुनिश्चित किया जाय।	प्रमुकाधि प्रविस
1.4	कर्मचारियों का अवकाश विवरण वेतन पर्ची पर अद्यतन रखा जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि अवकाश अग्रिम भुगतान में देरी से बचा जा सके।	प्रमुकाधि
1.5	वॉकी-टॉकी ,लाइनों पर लगे बोर्ड ,चूना का निशान आदि ठीक प्रकार से होना चाहिए।	प्रमुसिदूइं प्रमुइं
1.6	फॉग सिगनल कर्मचारी समुचित रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए।	प्रमुपरिप्र
1.7	मेल एक्सप्रेस एवं पेंसेंजर गाड़ियों के ड्राइवर एवं गार्ड का क्रू चेंज एक ही प्वाइंट पर होने चाहिए।	प्रमुपरिप्र प्रमुयांई प्रमुविइं
2.0	श्री एस.एन.पी.श्रीवास्तव, महासचिव / ईसीआरकेयू	
2.1	अर्पण योजना ठीक प्रकार से लागू किया जाय।	प्रमुकाधि
2.2	रेलवे एवं बैंक के अधिकारियों के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक कर पीपीओ पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।	प्रमुकाधि प्रविस
2.3	रोग से ग्रसित कर्मचारियों के मृत्यु के उपरान्त पेंशन के भुगतान की समय सीमा 60 दिन या 90 दिन निर्धारित की जाय।	प्रमुकाधि
2.4	पेंशनरों के भुगतान में 01.01.2016 से लंबित मामलों को बैंक द्वारा यथाशीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जाय।	प्रमुकाधि प्रविस
2.5	भविष्य निधि अग्रिम का भुगतान धनबाद मंडल में 04 दिन में निपटा दिया जाता है; इसे पूरे पूर्व मध्य रेल पर लागू किया जाय।	प्रमुकाधि प्रविस
2.6	अवकाश सीट के अद्यतन किए जाने के मामलों में दो कार्यालयों के बीच तालमेल का अभाव है इसे 05 वर्ष मे एक बार लेखा शाखा द्वारा विधिक्षा कर दी जाय ताकि लीव इन कैशमेंट सुविधाजनक हो।	प्रमुकाधि प्रविस
2.7	ऐसा प्रयास किया जाय की रन ओवर की घटना शून्य हो जाय।	प्रमुपरिप्र प्रमुसुआ प्रमुइं
2.8	क्रू को गाड़ियों के आगमन समय से तालमेल कर बुलाया जाय।	प्रमुपरिप्र प्रमुयांई प्रमुविइं

2.9	रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार क्रू के रनिंग रूम में आगमन से 45 मिनट के अंदर भोजन उपलब्ध करा दिए जाने के प्रावधान का कड़ाई से पालन किया जाय तथा कुकिंग में प्रशिक्षित लोगों को ही लगाया जान सुनिश्चित किया जाय तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाय।	प्रमुपरिप्र प्रमुयांई प्रमुविइं
3.0	श्री डी.के.पाण्डेय, अपर महासचिव, ईसीआरकेयू	
3.1	धनबाद मंडल पूर्व मध्य रेल में आय के मामले में एक विशिष्ट स्थान रखता है यह सब कर्मचारियों के कड़ी मेहनत का परिणाम है अतः ओवरा-सिंगरौली खण्ड की कर्मचारियों से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं की खस्ताहाली को ध्यान में रखते हुए इन्हें दुरुस्त करने के लिए एक विशेष पैकेज अवश्य दिया जाय।	प्रमुकाधि प्रमुपरिप प्रमुइं मंरेप्र धनबाद
4.0	श्री एस.एस.डी.मिश्रा, सहायक महासचिव/ईसीआरकेयू	
4.1	कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका का 05 वर्ष में एक बार विधिक्षा कर दिया जाना चाहिए।	प्रमुकाधि प्रविस
5.0	महेन्द्र कुमार, जोनल अध्यक्ष, एस.सी एण्ड एस.टी एशोसिएशन	
5.1	पीएफ अग्रिम के भुगतान हेतु समय सीमा निर्धारित किया जाय।	प्रमुकाधि प्रविस
5.2	लाईन कर्मचारियों का अवकाश सीट अद्यतन किया जाना चाहिए।	प्रमुकाधि
5.3	पेट्रॉलिंग में एक साथ दो पेट्रॉलमैन लगाया जाय।	प्रमुइं
5.4	यह सुनिश्चित किया जाय कि पेट्रॉलमैन शॉर्टकट विधि न अपनाए।	प्रमुइं
6.0	श्री आर.एन.पासवान, जोनल सचिव एस.सी एण्ड एस.टी एशोसिएशन	
6.1	कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के समय क्वार्टर टेक ओवर कर लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।	प्रमुइं
6.2	असामाजिक तत्वों द्वारा विभिन्न प्रकार के माध्यमों का उपयोग कर गाड़ियों के सिगनल लाल कर दिया जाता है। ऐसे स्टेशनों को चिन्हित कर सुरक्षा बढाई जाय।	प्रमुसिदूइं प्रमुसुआ
6.3	वॉकी – टॉकी को दुरुस्त रखा जाय।	प्रमुसिदूइं
6.4	पटना से गया की ओर खुलने वाली गाड़ियों के लिए गार्ड द्वारा सिगनल देखने में सुविधा के मद्देनजर रिपीटर सिगनल लगाया जाय।	प्रमुसिदूइं प्रमुपरिप्र
7.0	श्री पी.के.सिंह, अध्यक्ष, ईसीआर ओबीसीआरईए	
7.1	नया पेंशन योजना समाप्त किया जाय तथा पुराना पेंशन योजना पुनः बहाल किया जाय। इस मुद्दे को उच्च स्तर पर उठाया जाय।	प्रमुकाधि प्रविस
7.2	पेंशन भुगतान हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दस्तावेज 07 दिनों के भीतर भेजवाया जाय। इस संबंध में सोनपुर, समस्तीपुर मंडल में काफी सुधार की आवश्यकता है।	मंरेप्र सोनपुर, मंरेप्र समस्तीपुर प्रमुकाधि प्रविस
7.3	पीएफ अग्रिम हेतु ऑन लाईन व्यवस्था किया जाय तथा इसके लिए सिंगल विंडो पद्धति अपनाई जाय।	प्रमुकाधि प्रविस

7.4	लाईनों की पेट्रॉलिंग हेतु लगातार एक साथ दो पेट्रॉलमैन को लगाया जाय।	प्रमुइं
7.5	गाड़ी परिचालन से संबंधित बोर्डों पर चमकीला पट्टी लगाया जाय।	प्रमुसिदूइं प्रमुपरिप्र
7.6	इंजन पर लगे संरक्षा उपकरण सही स्थिति में होने चाहिये।	प्रमुपरिप्र प्रमुयांई प्रमुविइं
7.7	सभी पटाखे / फॉग डिवाइस सही स्थिति में होने चाहिए।	मुसंधि
7.8	एक्सप्रेस गाड़ियों के आगे पैसेंजर या माल गाड़ी नहीं चलाया जाय।	प्रमुपरिप्र
7.9	गाड़ियों में लोडिंग एवं अनलोडिंग न्यूनतम समय में किया जाना चाहिए।	प्रमुपरिप्र प्रमुवाप्र
7.10	सोनपुर मंडल के चिकित्सा एवं लेखा विभाग में बेहतर समन्वय की परम आवश्यकता है। अतः इस पर ध्यान देने की जरूरत है।	मंरेप्र सोनपुर प्रमुचिनि प्रविस
8.0	श्री दिनेश शर्मा , महासचिव, ईसीआर ओबीसीआरईए	
8.1	सेवा पुस्तिकाओं को ऑन लाईन की जाये।	प्रमुकाधि प्रविस
8.2	ग्रुप सी एवं डी कर्मचारियों के रेलवे क्वार्टर एवं बिजली का बिल नियमित रूप से आने चाहिए। सेवानिवृत्ति के समय रेलवे क्वार्टर का टेक ओवर किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा अनियमित बिजली बिल पर कड़ाई से रोक लगाई जाय ताकि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों पर भुगतान का बोझ न पड़े।	प्रमुइं प्रमुविइं सभी मंरेप्र
8.3	पीएफ अग्रिम निकालते समय नोमनी का नाम बार बार नहीं लिखा जाना चाहिए।	प्रमुकाधि प्रविस
8.4	पीएफ अग्रिम निकालने के लिए कार्मिक विभाग के सीरियल का लेखा विभाग द्वारा पालन किया जाना चाहिए।	प्रमुकाधि प्रविस
8.5	भविष्य निधि का कम्प्यूटराइज्ड फार्म लागू किया जाय।	प्रमुकाधि प्रविस
8.6	छुट्टी का विवरण अद्यतन रखा जाय।	प्रमुकाधि
8.7	फूट प्लेट में सिनियर अधिकारी के एवज में जूनियर अधिकारी को नही भेजना चाहिए।	प्रमुपरिप्र प्रमुयांई प्रमुविइं प्रमुसिदूइं
8.8	क्रू एवं उनके सुपरवाजरो के बीच समन्वय सौहार्दपूर्ण होने चाहिए।	प्रमुपरिप्र प्रमुयांई प्रमुविइं

8.9	गार्ड एवं ड्राइवर के अलावा अन्य परिचालनिक कर्मचारियों के लिए भी श्वास जांच की व्यवस्था होनी चाहिए।	प्रमुपरिप्र प्रमुयांई प्रमुविइं
9.0	श्री प्रभात रंजन, महासचिव / ईसीआरपीओए	
9.1	सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के क्वार्टर टेक ओवर करने की जिम्मेदारी उनके पुल होल्डर की है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर आई ओ डब्लू की सहायता ली जा सकती है।	प्रमुइं सभी प्रविभागाध्यक्ष एवं सभी मंरेप्र
9.2	निर्माण संगठन को पीएफ अग्रिम निकालने में होने वाली परेशानियों को दूर किया जाय।	प्रमुकाधि प्रविस
9.3	निरीक्षकों की इनहाउस प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय।	सभी प्रविभागाध्यक्ष
9.4	परिचालन से संबंधित कर्मचारियों को संरक्षा संबंधी सामग्री अवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाय।	प्रमुपरिप्र मुसंधि
9.5	रेट्रोरेफ्लेक्टिव स्ट्रीप एवं ट्राईकलर टार्च इंजीनियरिंग विभाग को भी उपलब्ध कराया जाय।	प्रमूइं प्रमुसिदूइं
9.6	टाईम टेबुल की गलतियों को सुधारा जाय।	प्रमुपरिप्र
9.7	रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार पूर्व मध्य रेल के जंक्शन स्टेशन की कंजेशन को कम करने के लिए आवश्यक वाईपास डाइवर्जन एवं फ्लाईओवर की योजना रेलवे बोर्ड को भेजा जाना चाहिए।	प्रमुपरिप्र प्रमूइं
